संख्या-20/2585/92-2014-29एम/90

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय:- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के कार्यालय भवन किराये के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1162/ग्रा0अ0वि0/बजट/का0भ0कि0/2014-15, दिनांक 12-6-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के कार्यालय हेतु कार्यालय-भवन, जिसका कुल कारपेट एरिया 134;07 वर्गमीटर है, का किराया रू0-150;00 प्रति वर्ग मीटर की दर से दिनांक 01-04-2013 से 31-3-2014 तक की अवधि के लिये रू0-20,111;00 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2585/92-2014-तदद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।

2- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 12-6-2014 के क्रम में।

3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।

4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, वाराणसी।

5- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-वाराणसी।

6- श्री ऋशिदेव राय, पुत्र स्व0 राम नरेश राय, भवन स्वामी, भवन संख्या- डी-59/105, ए-60 चन्द्रिका नगर सिगरा, वाराणसी।

7- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in